बुनियादी ढांचे पर टिका है ग्रामीण भारत का विकास

–नितिन प्रधान

गांवों का विकास मूलतः तीन बातों पर टिका है। पहला, सिंचाई की उचित व्यवस्था; दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल; तीसरा, गांवों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। ग्रामीण भारत के विकास को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में ऐसे कई प्रावधान किए हैं जो न केवल गांवों में इन तीनों मूलभूत सुविधाओं का विकास करेंगे बल्कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे का स्तर भी ऊपर ले जाएंगे।

किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाता है। भारत जैसे विशाल देश को अगर विकास की रफ्तार तेज करनी है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि गांवों का ढांचा मजबूत हो। जिस देश की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में बसती हो और पूरे देश का पालन–पोषण करने की जिम्मेदारी जिन गांवों पर हो उनके लिए यह बेहद आवश्यक है कि वहां मूलभूत आवश्यकताएं पर्याप्त हो। खेती के लिए आवश्यक ढांचा, कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था, गांवों में बिजली की उपलब्धता आदि ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना कोई भी देश अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज विकास की कल्पना नहीं कर सकता।

हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर आंकड़ों के जरिए सामने आई है उसके मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तिमाही विकास दर चार फीसदी से कुछ ऊपर रही है। माना जाता है कि अगर खेती के बढ़ने की रफ्तार यही बनी रहे तो पूरे देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आसानी से आठ फीसदी से ऊपर ले जाया जा सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि भारत में कभी भी कृषि क्षेत्र की विकास दर चार फीसदी के आंकड़े पर लगातार बनी नहीं रह सकी। चूंकि कृषि विकास दर आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है इसलिए साल–दर–साल इसमें उतार–चढ़ाव बना रहता है। बहुत कम ऐसा हो पाया है जब खेती की विकास दर चार फीसदी पर बनी रह सकी हो। साल 2015–16 में तो यह एक फीसदी से कुछ अधिक पर ही सिमट कर रह गई थी। स्पष्ट है कि पूरे देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण भारत को गति प्रदान की जाए।

अब सवाल यह उठता है कि ग्रामीण भारत की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। गांवों का विकास मूलतः तीन बातों पर टिका है। पहला, सिंचाई की उचित व्यवस्था, ताकि खेती को मानसून पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल, जिससे किसानों को बिना समय नष्ट किए अपनी पैदावार मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने की सहूलियत हो और वे अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकें। तीसरा, गांवों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ताकि ग्रामीण भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास में संतुलन बना रह सके। सिंचाई की सुविधा होगी तो किसानों को खेती के लिए हर साल मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सड़के होंगी तो किसान मंडी तक पहुंच सकेगा और फसल खराब होने से पहले उसे बाजार में पहुंचा कर उचित दाम प्राप्त कर सकेगा।

खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ग्राम मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। सरकार इसी अवधारणा पर ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर आगे चल रही है। ग्रामीण भारत के विकास को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में ऐसे कई प्रावधान किए हैं जो न केवल गांवों में उपरोक्त तीनों मूलभूत सुविधाओं का

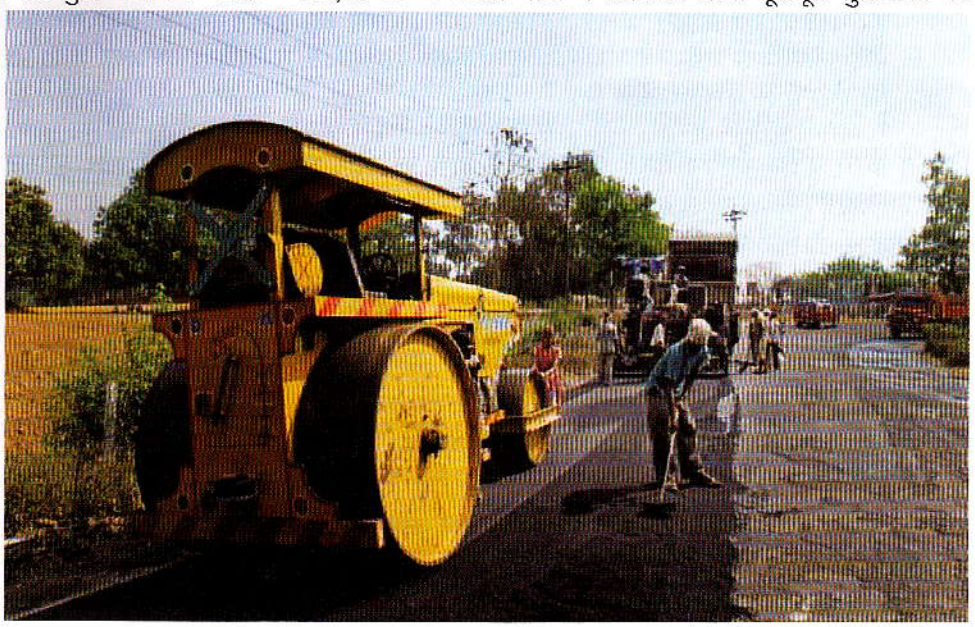

अवसंरचना और बजट

- टेक इंडिया एजेंडा का पांचवां घटक अवसंरचना है।
- रेल, सड़कें, पोत परिवहन सहित समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए 2017–18 में 2,41,387 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 2017–18 के लिए रेलवे के कुल पूंजीगत और विकास संबंधी व्यय को 1,31,000 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त 55,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- रेलवे चार प्रमुख क्षेत्रों पर अपना फोकस रखेगी– (i) यात्री सुरक्षा, (ii) पूंजीगत और विकास कार्य; (iii) स्वच्छता और (iv) वित्त और लेखा सुधार।
- यात्रियों की संरक्षा के लिए, 5 वर्ष की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सृजित किया जाएगा।
- ब्रॉडगेज लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रॉसिंगों को 2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा। सुरक्षा तैयारी और अनुरक्षण व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।
- अगले 3 वर्षों में, समग्र परिणाम में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसे विनिर्दिष्ट गलियारों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा।
- 2017–18 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन शुरू होंगी। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017–18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है।
- 500 स्टेशनों को लिफ्ट और एस्कलेटर देकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- मध्यावधि में लगभग, 7,000 स्टेशनों को सौर ऊर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सेवा शुरू की गई है।
- कोच संबंधी सभी शिकायतों और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल विंडो इंटरफेस 'कोचमित्र' शुरू किया जाएगा।
- 2019 तक, भारतीय रेल के सभी कोचों में बायो शौचालय लगाया जाएगा। लागत, सेवा की गुणवत्ता और परिवहन के अन्य रूपों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा।
- कार्यान्वयन के नवपरिवर्तनकारी मॉडलों और वित्तपोषण के साथ–साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण एवं स्वदेशीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। इससे युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- मौजूदा कानूनों को युक्ति संगत बनाकर नया मेट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और संचालन में बेहतर निज़ी भागीदारी और निवेश सुसाध्य होगा।
- सड़क सेक्टर में, राजमार्गों के लिए बजट आवंटन 2016–17 में 57,976 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017–18 में 64,900 करोड़ रुपये किया गया।
- तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए निर्माण और विकास हेतु 2,000 कि.मी. लंबी तटीय कनेक्टिविटी सड़कों को चुना गया है। पीएमजीएसवाई सहित सड़कों की कुल लंबाई 2014–15 से मौजूदा वर्ष तक 1,40,000 किलोमीटर है, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।

विकास करेंगे बल्कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे का स्तर भी ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण भारत को जोड़ने वाली सड़कों के विकास की। सरकार इस काम के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से एक केंद्रपोषित योजना चलाती है। सरकार ने इस योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़कों के लक्ष्य की पूर्ति की अवधि को घटा दिया है। पहले सरकार इस लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि इसे मार्च 2019 तक ही प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार का इरादा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने का है। सरकार का इस पर खासा जोर है इसीलिए वह इस लक्ष्य को 2019 तक प्राप्त कर लेना चाहती है। साल 2014 तक इस योजना के तहत सड़क बनाने की गति 73 किलोमीटर प्रतिदिन थी और वर्तमान इसे बढ़ाकर 133 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है।

ग्राम सड़क योजना के इस लक्ष्य की प्राप्ति सुगम हो, इसके लिए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के बजट में इस मद में 19000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि इस योजना के तहत बनने वाली सड़कों पर आने वाले खर्च का एक हिस्सा राज्य वहन करते हैं। लेकिन सरकार ने इस योजना के लिए बजटीय राशि में वृद्धि कर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। अगर केंद्र द्वारा दी जाने वाली बजटीय राशि में राज्यों के अंशदान को भी जोड़ दिया जाए तो साल 2017–18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कुल 27000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।

इस राशि से सरकार का लक्ष्य इस अवधि में 48500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का है। यह योजना केवल गांवों का विकास ही नहीं कर रही, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के विकास में भी सहायक बनती है। इसलिए वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों में अगले चार वर्ष तक 5411 किलोमीटर सडकों का निर्माण भी इसी योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही इन जिलों में 126 पुलों का निर्माण भी होगा। इन कार्यों पर 11700 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सरकार की स्पष्ट अवधारणा है कि विकास के जरिए ही मुख्यधारा से भटक कर नौजवानों को उग्रवाद के रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। और इन क्षेत्रों में विकास का मूल जरिया ये सड़कें ही बनेंगी।

ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गांवों का विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण इस सरकार के लिए प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर चलायी जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बजट आवंटन को साल 2017–18 के लिए 44 फीसदी बढ़ाया गया है। पिछले साल इसके लिए 3350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे अब बढ़ाकर 4814 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट के जरिए सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पहली मई 2018 तक देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण का इरादा रखती है। यानी मई 2018 तक देश के सौ फीसदी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 121225 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के वक्त 18452 गांव ऐसे बचे थे जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। सरकार ने बीते दो साल में इनमें से 11931 गांवों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत विद्युतीकृत कर दिया है। शेष गांवों को सरकार मई 2018 तक विद्युतीकृत कर देगी।

ग्रामीण क्षेत्र का विकास पूरी तरह किसानों की कृषि आय पर निर्भर करता है। सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलें। सिंचाई की व्यवस्था इसमें सबसे अहम है। बिना सिंचाई के साधनों के किसानों की आय में बढ़ोतरी का विचार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि किसानों को डेयरी, पशुपालन और बागवानी जैसे सहायक उद्योगों की तरफ आकर्षित कर उनके लिए अतिरिक्त आय के उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन किसानों की वास्तविक आय उनकी कृषि पैदावार पर ही निर्भर करती है। इसलिए जरूरी है कि इस आय को बढ़ाने के लिए किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके महत्व को समझते हुए ही वित्तमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए सिंचाई के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये किया है। इसी तरह वाटरशेड कृषि सिंचाई योजना के लिए भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बीते साल के 1700 करोड़ रुपये के आवंटन में 35 फीसदी वृद्धि कर उसे 2017–18 के लिए 2310 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह ग्रामीण भारत की एक बुनियादी जरूरत आवास है। इसके तहत केंद्र के स्तर पर चलायी जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तवर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। साल 2017–18 के बजट में इस योजना के बजटीय आवंटन को 53 फीसदी बढ़ाकर 23000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गांवों में पीने का साफ पानी मुहैया कराना भी केंद्र की प्राथमिकता पर है। लिहाजा अगले वित्तवर्ष के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अगले वित्तवर्ष के बजट में इस बात के पर्याप्त उपाय किए गए हैं जिससे एक स्वस्थ, स्वच्छ और आर्थिक दृष्टि से मजबूत ग्रामीण भारत का विकास हो सके। इसके लिए आवश्यक तमाम बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है। वित्तवर्ष 2017–18 के बजट में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी सरकार के इरादों को बयान करती है। 128560 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास का बजट इस बात का परिचायक है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को वास्तव में मजबूत आर्थिक भारत की रीढ़ के रूप में तैयार करने का है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 साल का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का अनुभव है। आर्थिक और वित्तीय विषयों पर लिखते रहते हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण में राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ हैं।)

ई–मेल : pradhannitin@gmail.com

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	—	530	1000	1400